



RHF-NGO

RHF-NGO

## जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश

प्रपत्र -2

### ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की जीवन को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और / या इसकी उप समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी. / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी हैं और वी.डब्लू.एस.एन.को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है आई.एस.ए.द्वारा मार्गदर्खन सहायता प्रदान की जानी हैं)

1. तैयारी की तारीख 15/12/2023 ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख  
 डी.डब्लू.एस.एन.को प्रस्तुत किए जाने की तृशीख वी.ए.पी.रुपजे  
 2. ग्राम का नाम वी.ए.पी.रुपजे ग्राम पंचायत का नाम वी.ए.पी.रुपजे  
 ब्लाक का नाम संघप्रजे जिला का नाम हायरसन  
 राज्य का नाम उत्तर प्रदेश ग्राम जनगणना कोड.....

(यदि लागू हो, तो बस्तियों की संख्या और उनके नाम)

#### 2. ग्राम पंचायत संकल्प

3. ग्राम समुदाय की आकाशः ..... (संख्या) मधेषी कुंडों को और ..... (संख्या) कपडे धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन नियमित आधार पर अर्थात् ..... घण्टे निर्धारित गुणवत्ता वाले ..... एल.पी.सी.डी. जल आपूर्ति वर्ष ..... तक ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराने के लिए एफ. एच.टी. सी.प्रदान करना छम ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंत ग्राम जल आपूर्ति अवसरचंना के अपनत्व, प्रबंधन प्रधालन और रख—रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने भीठे पानी को बचाएंगे। यह संकल्प लिया जाता कि पूजी लागत का ..... प्रधालन और रख—रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।

पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.ई.डी./आर.डब्लू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।

11. ग्राम पंचायत और / या इसकी उप—समिति, अर्थात् वी.डब्लू.एस.सी. / पानी समिति / प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण

4. कौन सी समिति गाँव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन और रख—रखाव का नेतृत्व करेगी।

(ग्राम पंचायत और / या इसकी उप—समिति )

अध्यक्ष का नाम ..... लिंग ..... आयु .....

| S.N. | सदस्य का नाम | लिंग | आयु |
|------|--------------|------|-----|
|      |              |      |     |
|      |              |      |     |
|      |              |      |     |

6. 2011 की जनगणना के अनुसार

जनसंख्या.....

वर्तमान पंचायत / आंगनबाली रिकॉर्ड के अनुसार

परिवारों की संख्या.....

वर्तमान जनसंख्या ..... 1100 + 155

परिवारों की संख्या ..... 186

महिलाओं की संख्या.....

महिलाओं की संख्या ..... 500

पुरुषों की संख्या.....

पुरुषों की संख्या ..... 600

बच्चों की संख्या.....

बच्चों की संख्या ..... 155

एफ.एच.टी.सी. की संख्या.....

एफ.एच.टी.सी. की संख्या.....



# RHCF-NGO



7 जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती चरण वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि) ..... ३२

वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान संख्या में 32% वृद्धि) ..... ५१० किलोलीटर / दिन (के.एल.डी.)

8 वर्तमान भवेदवी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड) ..... ५१९

9 कृषि फसल पैटर्न: प्रमुख फसलें खरीफ रबी

10 औसत जिला वर्षा (मि.मी. में) ..... 11. रथलाकृति (समतल, ढलान, आदि) .....

11 स्थिति विश्लेषण

12 क्या संसाधन मानविक्रिया किया गया है (हाँ / नहीं) (ग्राम कार्य योजना के साथ मानविक्रिया संलग्न करें)

13. क्या सामाजिक मानविक्रिया किया गया है (हाँ / नहीं) (ग्राम कार्य योजना के साथ मानविक्रिया संलग्न करें)

14

| क्रम.सं. | सार्वजनिक संस्था का नाम | क्या एफ.एच.टी.सी.उपलब्ध है (हाँ / नहीं) | क्या वर्षा जलसंचयन संरचना उपलब्ध है (हाँ / नहीं) | सोखता गढ़ों को उपलब्धता (हाँ / नहीं) |
|----------|-------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1        | स्कूल                   |   |  |                                      |
| 2        | आगंनबाड़ी               |   |  |                                      |
| 3        | स्वास्थ्य केन्द्र       |   |  |                                      |
| 4        | ग्राम पंचायत भवन        |   |  |                                      |
| 5        | अन्य                    |   |  |                                      |

पानी की कुल दैनिक आवश्यकता

15. पानी की बेतनमान आवश्यकता जनसंख्या X दर ..... ५१० के.एल.डी.

नवेशियों के लिए पानी की वर्तमान आवश्यकता ..... ५१९ के.एल.डी.

नवेशी कुड़ों की आवश्यकता संख्या ..... ५

नव्यवर्ती चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर ..... ५१६ के.एल.डी.

अंतिम चरण के लिए पानी की आवश्यकता - जनसंख्या X दर ..... १५१९ के.एल.डी.

पानी की आपूर्ति का इतिवृत्त

16 गाँव में पानी की आपूर्ति / उपलब्धता का इतिवृत्त, सूखा / अकाल / चक्कात / बाद या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा का पैटर्न, पानी की उपलब्धता समान्य प्रवर्ति.

17 आपातकालिन व्यवस्था का कोई इतिवृत्त जैसे टंकियाँ, रेल गाड़ियों, / आदि के माध्यम से पानी की आपूर्ति।

18 पानी की आपूर्ति से संबंधित आंशिक कार्य, स्त्रोत को मजबूत करने का इतिवृत्त

19 जल जनित रोगों का इतिवृत्त

पानी की गुणवत्ता

20 फील्ड परीक्षण किट / वायरल का उपयोग करके समुदाय के साथ जल गुणवत्ता की धौकसी के लिए अभिनिर्धारित तारीखें....

21 सैनिकी निरीक्षण के लिए अभिनिर्धारित तारीख़.....

22 जल आपूर्ति योजना में इस्तेमाल किए जाने वाले मौजूदा / प्रस्तावित पेयजल स्त्रोत (स्त्रोतों) के पानी की गुणवत्ता :

स्त्रोत का नाम (अवस्थिति):

| मापदंड          | तरीका              | परिणाम |
|-----------------|--------------------|--------|
| गंदगी           | दृष्टि तुलना       |        |
| पीएच            | पटटी रंग तुलना     |        |
| पूर्ण लवणता     | टिट्रीमेट्रिक विधि |        |
| पूर्ण क्षारीयता | टिट्रीमेट्रिक विधि |        |
| क्लोराइड        | टिट्रीमेट्रिक विधि |        |
| अमोनिया         | दृष्टि रंग तुलना   |        |
| फास्फेट         | दृष्टि रंग तुलना   |        |
| अवधिक्ष व्लोरीन | दृष्टि रंग तुलना   |        |
| आयरन            | दृष्टि रंग तुलना   |        |
| नाइट्रेट        | दृष्टि रंग तुलना   |        |
| पलोराइड         | दृष्टि रंग तुलना   |        |



## RHCF-NGO



आर्सेनिक (हॉटस्पॉटम में)

दृष्ट रंग तुलना

कपड़े धोने / स्नान करने का स्थान:-

23. यह सम्भावना है कि गाँव के कुछ ग्रामीण इलाकों में कपड़े धोने के लिए और /या नल कनेक्शन के लिए पर्याप्त जगह न हो। ऐसे अभिनिर्धारित स्थानों की संख्या, जिसमें कपड़े धोने / स्नान करने के स्थान उपलब्ध कराए जाने हैं।

| अवस्थिति का नाम | घरों की संख्या | आवादी |
|-----------------|----------------|-------|
|                 |                |       |

24. भू-जल स्रोत के मामले में क्या बोरवेल रिचार्ज सरचना है(हाँ / नहीं)

25. गाँव में उन मौजूदा जल भंडारों की सूची जिनका कायाकल्प / मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदले जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65).....के एल डी.

अलग— अलग सोखता गड़दों वाले परिवारों की संख्या.....

उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड़दों की आवश्यकता है.....

आवश्यक सामुदायिक सोखता गड़दों की संख्या.....

क्या अपरिष्ट जलछट तालाब की आवश्यकता है(हाँ / नहीं)

यदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है;

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपागों को अपनाया जाना चाहिए.....

### V जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी.प्रदान किए जाएंगे।

टतिन छोर तक पहुँच के लिए पूर्ववती ५.न.आर.डी.डब्ल्यू.पी के तहत युरु की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे जो.जे.एम.के अनुकूल बनाया जा सके नियारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भू-जल / रिंग पाटर / स्थानीय या धरातली जल वाले गंवों में एस.वी.एस.घोषण की आवश्यकता वाले विन्यु पर्याप्त भू-जल वाले गंवों में एस.वी.एस.

पाटर ग्रिट / क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.वी.एस.

मिनी सौर उर्जा आधारित पी.एल.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त / आदिवासी बस्तियों में स्थित है।

28. अभिनिर्धारित जल स्रोत .....तकनीकी —आर्थिक और सामाजिक —आर्थिक मूल्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना .....

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि .....

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.ई.डी. / आर.डब्ल्यू.एस.विभाग को सौंप दी जाएगी.....योजना की लागत .....भारत सरकार का हिस्सा .....व्यक्तिगत घरेलू अंशदान .....वार्षिक प्रचालन व रखरखाव पुल्क .....घरेलू मासिक जल पुल्क / प्रयोक्ता शुल्क .....कोई दूरस्थ बसावट हो तो अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.

### VI मेल-जोल

( निम्नलिखित तालिका में जन सभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि / निधि मेल-जोल समंबंध है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम की आवश्यकता के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

29.

| योजनाओं का नाम                                       | केन्द्र / राज्य सरकार का विभाग                 | संभवत गतिविधियों जो युरु की जा सकती है  | प्रस्तावित निधि |
|--|--|---|-----------------|
| चौदहों वित आयोग                                      | ग्राम पंचायत                                   | ग्रे / वाटर मैनेजमेंट, ड्रोनेज सिस्टम आदि।  |                 |
| स्वच्छ भारत योजना (एस.वी.एस.जी.)                     | प्रेयजल और स्वच्छता विभाग जल व्यवितरण मंत्रालय | ग्रे—वाटर मैनेजमेंट सोखता गड़दे (व्यक्तिगत / सामुदायिक) .<br>अपरिष्ट तलछट तालाब आदि।      |                 |
| एम.जी.एन.आर.ई.जी.एस.                                 | ग्रामीण विकास मंत्रालय                         | प्राकृतिक सासाधन प्रबंधन(एन.आर.एम.)घटक के तहत सभी जल सरकारी गतिविधियाँ                    |                 |
| एकीकृत वाटरपेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.) | भूमि संसाधन विभाग                              | वाटरपेड प्रबंधन / आर.डब्ल्यू.एस. / कृत्रिम पुनर्निर्णय, जल निकायी का निर्माण / बढ़ाव आदि। |                 |
| जल भंडारों की मरम्मत, नदीनीकरण और जोर्डांडार         | जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग      | बड़े जल भंडारों का जीणांडार   |                 |
| राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)           | कृषि सहकारी और किसान कल्याण                    | वाटरपेड से संबंधित कार्य  |                 |
| प्रधानमंत्री कृषि सिचाई योजना                        | कृषि सहकारी और किसान                           | जल की खपत दातानी विभिन्न  |                 |
| (पी.एम.के.एस.दाई)                                    | कल्याण मंत्रालय                                | परसनों के लिए सूम-सिचाई का प्राक्षयान, एकीकरण से जल की निकासी को कम करने के लिए           |                 |



## RHCF-NGO



|   |   |  |
|---|---|--|
| क्षातिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और आयोजना प्राधिकरण                     | पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय                   | आर.डब्ल्यू.एस.योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास/प्राप्तिकरण आदि। |
| समग्र पिण्डा  | मानव संसाधन विकास मंत्रालय                                | स्थूलों में पेयजल आपूर्ति का प्रावधान  |
| आकांक्षी जिला कार्यक्रम   | नीति आयोग   | जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विवेकाश्रयों निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ         |
| जिला खनिज विकास निधि (डी.एम.ए.फ.)                                     | राज्य   | इसे प्रभाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ   |
| एम.पी.एल.ए.डी.  | सहियाकी और कार्यक्रम कार्यव्यवन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) | अंतःग्राम अवसरवना  |
| एम.एल.ए.एल.ए.डी.  | राज्य   | अंतःग्राम अवसरवना  |
| साक्षात् के अनुच्छेद 275(1) के तहत अनुदान/जनजातीय उपयोजना (टी.एस.एस.) | जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य                       | अंतःग्राम अवसरवना  |
| दानदाता/प्रयोजक   |   |  |

अध्यक्ष का हस्ताक्षर—

पी.एच.ई.डी./आर.डब्ल्यू.एस.विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर—

आई.एस.ए.प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर(यदि लागू हो):

संपर्क विवरण

ग्राम पचांयत और/या इसकी उप-समिति/अर्थात वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का


अध्यक्ष का नाम और फोन नंबर **१२३४५६७८९०९१०९२० — ८५३३९७६४३२**  
पद्धांयत सचिव का नाम और फोन नंबर: **९५८६५५००७९**

जमीनी तकनीविधियाँ का नाम और फोन नंबर:

पानी की गुणवत्ता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए पांच महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

| Sr. | महिला का नाम | पति का नाम     | मोबाइल न.  | बैंक खाता संख्या   | IFSC कोड     | ब्रांच |
|-----|--------------|----------------|------------|--------------------|--------------|--------|
| 1.  | प्रिया देवी  | प्रियोदय कुमार | 9896667890 | 153901100000000034 | SBIN000461B  |        |
| 2.  | रमा देवी     | रमा देवी       |            | 3507923456789      | SBIN0011649  |        |
| 3.  | रमा देवी     | प्रियोदय       |            | 3645001500092371   | PUNIB0364500 |        |
| 4.  | नाना देवी    | नाना देवी      |            | 150400100000000095 | BKUDRAKVA    | LTB    |
| 5.  | प्रिया देवी  | प्रिया देवी    |            | 34625662396        | SPIN0011649  |        |

पृष्ठ ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:



ISA:-

हरताथा

ISA प्रतिनिधि:-

प्रधान

प्रधान  
राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघर्ष समिति  
उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति  
काशी नगर नगरपालिका



जल शक्ति एवं स्वच्छता विभाग  
जल शक्ति मंत्रालय  
भारत सरकार  
DEPARTMENT OF DRINKING WATER AND SANITATION  
MINISTRY OF JAL SHAKTI  
GOVERNMENT OF INDIA

# RHCF-NGO



RHCF-NGO

प्रपत्र -12

## जल जीवन मिशन उत्तर प्रदेश


जनपद:- हायरस  
ग्राम पंचायत:- कौशला रुद्र  
ISA:- RHCF - N70

विकास खंड:- संहाय  
ग्राम:- कौशला रुद्र  
दिनांक:- 10/12/2023

### ग्राम कार्य योजना अनुमोदन प्रस्ताव

ग्राम पंचायत कौशला रुद्र विकास खण्ड संहाय की ग्राम सभा  
दिनांक 10/12/2023 को आयोजित कि गई, जिरामे जल जीवन मिशन के तहत कियान्वयन  
सहायक एजेन्सी RHCF - N70 द्वारा ग्राम कौशला रुद्र

की जल जीवन मिशन के तहत ग्राम कार्य योजना (VAP) प्रस्तुत कि गई एवं ग्राम सभा में  
सर्व सहमति से ग्राम कौशला रुद्र की कार्य योजना (VAP) का अनुमोदन किया गया।



ग्राम विकास अधिकारी / प्रधान

ग्राम पंचायत.....